न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी राजेश सुवालका (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या / 189 / 2014 दायर दिनांक 18.11.2014

उनवान

1. जगदीश चन्द्र पिता बंशी लाल बाहम्ण आयु वयस्क निवासी तुरकिया कला तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

—— वादीगण

बनाम

1. बद्री लाल पिता कालु जाति जाट आयु वयस्क निवासी तुर्किया कला तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. कालु पिता किशना जाति जाट आयु वयस्क निवासी तुर्किया कला तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़। (विलोपित)
3. परथु पिता ऊकार जाति जाट आयु वयस्क निवासी तुर्किया कला तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
4. माधु पिता लोबा जाति जाट आयु वयस्क निवासी तुर्किया कला तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
5. कालु पिता हजारी जाति जाट आयु वयस्क निवासी तुर्किया कला तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
6. नानु पिता रघुनाथ जाति जाट आयु वयस्क निवासी तुर्किया कला तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
7. परथु पिता रुघनाथ जाति जाट आयु वयस्क निवासी तुर्किया कला तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
8. कैलाश पूर्बिया ड्राईवर जे. सी. बी. निवासी गोराजी का निम्बाहेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़। (विलोपित)
9. बद्री लाल पिता मोहन लाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी लाखा का खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
10. भूमिधारी अधिकारी तहसीलदार कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

—— प्रतिवादीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

—: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट :—

निर्णय दिनांकः 04.12.2024

—:निर्णयः—

वादी ने वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत् निम्न निवेदन के साथ पेश किया गया कि यह कि मौजा तुरकियाकलां पटवार हल्का तुरकियाखुर्द की आ०स०, 568, 569, 570, 571, 776, 1135, 1136, 1137, 1149, 1156, 1157, 1158, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1538, 1237, 1542, 1543 कुल किला 21 कुल रकबा 10 हैक्ट0 स्थित है जो राजस्व रेकार्ड की वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज है।

यह कि वादी की खातेदारी आराजीयात कालम स० एक में वर्णित है। जिसमे आ0स0 1237 रकबा 1.0800 हेक्टर स्थित है इस आराजीयात मे वादी ने सोयाबीन की फसल बोई इस आराजी मे पूर्व दिशा की ओर 12 फिट चौडा रास्ता जिसके आ0स0 1236 है वो आगे जाता है वादी ने अपनी आराजी की सीमा रास्ते को छोड़कर पत्थर की दिवार करीब 40 वर्ष पूर्व से

बना रखी थी जिसके आगे सीमेन्ट के खम्भे लगा कर कांटेदार बाड लगा रही थी यह रास्ता सदियों से चालु है।

यह कि यह रास्ता दक्षिण से उत्तर की ओर समान्तर चोडाई के अनुसार चालु था वर्तमान मे भी है। वादी के आराजी से पूर्व दिशा की मेर पत्थरो की दीवार के सहारे नीम, बबुल के बडे बडे पेड खडे थे जिनको प्रतिवादीगणो ने वादी की आराजी को नुकसान पहुंचाने की वजह से दिनाक 26.8.2014 को जे. सी. बी. लगवा कर हम सलाह होकर वादी की आराजीयात मे अनाधिकृत प्रवेश कर पत्थरो की दिवार व काटेदार तारो की बाड को तोड़कर नष्ट कर दी तथा करीब 15 फिट वादी की आराजी के अन्दर जे. सी. बी से खाई लगवा कर खडडे कर दिये वृक्षो को नष्ट किया व सोयाबीन की फसल को नुकसान पहुचाया इस तरह से प्रतिवादीगण ने हम सलाह होकर गैर कानुनी कृत्य किया है और करने को आमादा है। इसलिए प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाना आवश्यक है।

यह कि वादी द्वारा प्रतिवादीगण को ऐसा कार्य नही करने के लिए कहा तो उस समय रूक गये रात को जाकर वादी की आराजीयात को नुकसान पहुचाया जिससे वादी को करीब 100000/– एक लाख रुपये का नुकसान हुआ है।

यह कि प्रतिवादीगण ने वादी को नुकसान पहुंचाने के आशय से आराजी को खुर्द बुर्द कर जानबुझकर नुकसान पहुंचाया है और आपराधिक कार्य किया है। जिसके लिये प्रतिवादीगण पर क्षतिपूर्ति की राशि 100000/– एक लाख रूपये अदा करने व वादी की पत्थर की दिवार व तारबन्दी को प्रतिवादीगण द्वारा पुनः पूर्व की स्थित मे लाने की आदेशात्मक आदेश की डिक्री से पाबन्द कराया जाना आवश्यक है।

यह कि वादी का वाद प्रथम दृष्ट्या वादी के पक्ष मे है क्योंकि वादी की खातेदारी आराजीयात मे नुकसान पहुंचाकर क्षति पहुंचाई है जिसके लिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराया जाना आवश्यक ह ।

यह कि वादी ने प्रतिवादीगण के इस कृत्य की सूचना पुलिस थाना कपासन को दिनाक 27.8.2014 को दी लेकिन थाने वालो ने कोई कार्यवाही नही की दिनाक 15.10.2014 को प्रतिवादीगणो को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति राशि 100000/– रूपये व पत्थर की दीवार व तारबन्दी पूर्व की स्थिती मे लगाने हेतु कहा तो प्रतिवादीगणो ने मना कर दिया और वादी को धमकी दी कि हम ओर तेरी आराजी में घुस कर नुकसान पहुचायेगे नहीं मानेगे तो मारपीट भी करने लगे इसलिए प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद लाने का कारण पैदा हुआ जो निरन्तर जारी है।

अन्त में वादी ने प्रार्थी की कि–

– पक्षवादी विरूद्ध प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबन्द फरमाया जावे कि वादी की आराजीयात संख्या 1237 रकबा 1.0800 हेक्टर में किसी प्रकार की दस्तन्दाजी नही करे तोड फोड नही करे ऐसा कार्य स्वंय प्रतिवादीगण नही करे और न ही अपने द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्ति नोकर एजेन्ट, कर्मचारी परिवारजन से भी नही करावें । व किसी सार्धन से नही करावें ।

– प्रतिवादीगणों को आदेशात्मक आदेश की डिक्री से आदेशित किया जावे कि आराजी संख्या 1237 की पूर्वी दिशा रास्ते की और पत्थर की दिवार व तारबन्दी नष्ट की है उसको पुनः अपने खर्चे से स्थापित करे तथा प्रतिवादीगणों द्वारा कारित नुकसान का मुआवजा 100000/– रूपया वादी को अदा करे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

– अन्य दाद मुफिद हो वादी को प्रतिवादी से दिलावे एवं वाद व्यय व वकील मेहनताना भी प्रतिवादीगणों से वादी को दिलाया जावें।

हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 के विरूद्ध बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से पूर्व में दिनांक 20.01.2016 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 व 8 के विरूद्ध कार्यवाही ड्रॉप किये जाने के निवेदन को स्वीकार किया जाकर दिनांक 23.07.2019 को कार्यवाही ड्रॉप की गई। साक्ष्यवादी में वादी जगदीशचन्द्र पिता बंशीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी तुर्कियाकलां का शपथ पत्र प्रस्तुत जो शा0फा0 है। वादपत्र के समर्थन व पुष्टि में जमाबन्दी प्रदर्श–1, नक्शा ट्रेस प्रदर्श–2 एवं मौके के फोटो ग्राफ जो प्रदर्श–3, 4, 5 है, प्रस्तुत किये।

बहस एकतरफा सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने निवेदन किया कि वादवर्णित आराजीयात वर्तमान में वादी के नाम दर्ज रेकार्ड है। पक्षवादी विरूद्ध प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबन्द फरमाया जावे कि वादी की आराजीयात संख्या 1237 रकबा 1.0800 हेक्टर में अप्रार्थीगण किसी प्रकार की दस्तन्दाजी नही करे तोड फोड नही करे ऐसा कार्य स्वंय प्रतिवादीगण नही करे और न ही अपने द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्ति नोकर एजेन्ट, कर्मचारी परिवारजन से भी नही करावें।

हमने सम्पूर्ण पत्रावली, दस्तावेजों का अवलोकन किया। की गयी बहस पर मनन किया। अतः प्रस्तुत दस्तावेजो के आधार पर वाद पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर यह निर्णय दिया जाता है कि मौजा तुरकियाकलां पटवार हल्का तुर्कियाखुर्द तहसील कपासन की आराजी नम्बर 1237 रकबा 1.08 हैक्ट0 में प्रतिवादी संख्या 1, 3 से 7 व 9 को स्थाई निषेधाज्ञा से इस आशय से पाबन्द किया जाता है कि उक्त आराजीयात में किसी भी प्रकार की दस्तन्दाजी, तोड फोड नही करे और न ही अपने द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्ति नोकर एजेन्ट, कर्मचारी परिवारजन से भी नही करावें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(राजेश सुवालका)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन